ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त

प्रधान कार्यालय:ए -2/46, विजय खंड, गोमती नगर,लखनऊ

(भारत सरकार , उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम)

प्र.का./ कार्मिक एवं औ.वि./ऐ.के.वी/ **परिपत्र सं. 06/171**
दिनांक: 28.01.2019

महाप्रबन्धक,
<u>महाप्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ/अलीगढ़</u>
क्षेत्रीय प्रबन्धक
<u>समस्त क्षेत्रीय कार्यालय</u>
मुख्य प्रबन्धक / वरिष्ठ प्रबन्धक
<u>समस्त विभाग, प्रधान कार्यालय,</u>
एवं
शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,
<u>समस्त शाखाएँ</u>

<u>विषय: पेंशन योजना-2018 सम्बन्धी प्रमुख प्रश्न</u>

समस्त कार्मिकों का ध्यान ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त (कर्मचारी) पेंशन योजना, 2018 विषयक कार्मिक विभाग परिपत्रांक 06/164 दिनांक 23.01.2019 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से प्रधान कार्यालय स्तर पर पेंशन प्रकोष्ठ के गठन के बारे मे सूचित किया गया था । इसी क्रम मे सभी नोडल अधिकारियों द्वारा विभिन्न विन्दुओं पर स्पष्टीकरण की माँग की जा रही थी जिसे संज्ञान मे लेते हुए कुछ प्रमुख प्रश्नो को समाहित किया जा रहा है :-

प्र. पेंशन योजना मे पात्र सदस्यो द्वारा विकल्प पत्र कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं ?
उ. किसी भी शाखा/बैंक कार्यालय या बैंक की वैबसाइट से विकल्प पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं
प्र. क्या विकल्प पत्र किसी निर्धारित कार्यालय मे जमा करना आवश्यक है ?
उ. हाँ, यदि सदस्य वर्तमान मे कार्यरत है तो उस शाखा/कार्यालय में जहां वो कार्यरत है । यदि सेवानिवृत्त हो चुका है तो वह शाखा/कार्यालय जहां पर सेवानिवृत्ति के समय वेतन खाता संचालित था । यदि सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु पूर्व अंतिम शाखा/कार्यालय जहां पर वेतन खाता संचालित था ।
प्र. पेंशन पात्र सदस्यों को पेंशन भुगतान का माध्यम क्या होगा ?
उ. पेंशन का भुगतान ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त मे संचालित खाते मे ही किया जाएगा ।
प्र. क्या डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना आवश्यक है ?
उ. यदि संबन्धित सदस्य 1 वर्ष पूर्व सेवा निर्वृत्त हो चुके हैं और कम्यूटेशन कराना चाहते है इस स्थिति मे चिकित्सकीय परीक्षण कराना आवश्यक है ।
प्र. डॉक्टर का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा ?
उ. डॉक्टर का चुनाव क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किया जाएगा । इस कार्य के लिए संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय प्रमाण पत्र को भी स्वीकार कर सकते है ।
प्र. चिकित्सकीय परीक्षण किए जाने हेतु शाखा/कार्यालय द्वारा संबन्धित स्टाफ के माध्यम से डॉक्टर के पास प्रेषित किए जाने वाले आवश्यक प्रपत्र कौन से हैं ?
उ. प्रपत्र-6 भाग-III, प्रपत्र-7 भाग-I, प्रपत्र-7 भाग-II, प्रपत्र-7 भाग-III

प्र. प्रपत्र-6 भाग-III पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे?
उ. हस्ताक्षर करने हेतु शाखा/कार्यालय जहां संबन्धित स्टाफ सदस्य अपना प्रपत्र जमा करेंगे के शाखा प्रबन्धक या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा ही प्रपत्र-6 भाग-III पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
प्र. क्या कम्यूटेशन कराना आवश्यक है ?
उ. नहीं, यह पूर्णतया स्वैच्छिक है ।
प्र. क्या कुटुंब पेंशन हेतु पात्र कम्यूटेशन करा सकते है ?
उ. नहीं
प्र. क्या सेवानिवृत्त / मृतक सदस्यो को ई.पी.एफ.ओ. द्वारा दी जा रही पेंशन मिलती रहेगी ।
उ. हाँ
प्र. वर्तमान मे ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन पर ई.पी.एफ.ओ. द्वारा दी जा रही पेंशन का क्या प्रभाव पड़ेगा ।
उ. ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन मे से ई.पी.एफ.ओ. द्वारा दी जा रही पेंशन को कम करके भुगतान किया जाएगा ।
प्र. क्या भविष्य मे बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे सदस्यो द्वारा 58 वर्ष की आयु मे मिलने वाली पेंशन के लिए आवश्यक प्रपत्र जमा करने होंगे ?
उ. हाँ, 31.03.2019 तक सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे सदस्यो को फॉर्म –10 डी (ई.पी.एफ.ओ. पेंशन) अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक प्रपत्र जमा कर देने चाहिए तथा सभी सेवारत सदस्य जो 58 वर्ष के हो चुके हैं उनके द्वारा भी फॉर्म –10 डी (ई.पी.एफ.ओ. पेंशन) भरा जाना आवश्यक है ।संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी इस संबंध मे आवश्यक सहयोग अपेक्षित है ।
प्र. क्या कुटुंब पेंशन हेतु पात्र मृतक सदस्य के आश्रित (बैंक अभिलेखों के अनुसार) द्वारा विकल्प दिया जाना अनिवार्य है ?
उ. हाँ, अंतिम तिथि 26.03.2019 से पहले अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।
प्र. क्या 01.04.2010 से पूर्व सेवा मे आ चुके सदस्य जो वर्तमान मे कार्यरत हैं, द्वारा विकल्प दिया जाना अनिवार्य है ?
उ. हाँ, अंतिम तिथि 26.03.2019 से पहले अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।
प्र. क्या 01.04.2010 से 31.03.2018 के बीच सेवा मे आ चुके सदस्यो द्वारा विकल्प दिया जाना अनिवार्य है ?
उ. हाँ, अंतिम तिथि 26.03.2019 से पहले अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।
प्र. क्या 01.04.2018 के बाद सेवा मे आये स्टाफ सदस्यों को विकल्प पत्र देना है ?
उ. नहीं , ऐसे सदस्य स्वतः ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा आच्छादित होंगे।

सभी स्टाफ सदस्य कृपया उपरोक्त का संज्ञान लें एवं शाखा/ कार्यालय स्तर पर सभी लाभार्थियों का उचित मार्गदर्शन करें । उपरोक्त प्रश्न केवल एक प्रयास मात्र है, किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबन्धित क्षेत्र के नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

(अजय ठाकुर)

<u>महाप्रबन्धक</u>

कार्मिक एवं औद्योगिक विधि विभाग